

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टॉक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प...क.../.../...

-:आदेश:- १८६६ ३५/२०१६

134  
26/5/16

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी..... व मू.अ.नि..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../नायब तहसीलदार (उत्तिपार) की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाक (वाइ) तहसील (उत्तिपार) व जिला टॉक की जमाबन्दी सम्वत १९७२-७३ में खाता संख्या 112 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>भाक (वाइ)</u>	<u>112</u>	<u>रामपाल ७०</u> <u>गुरा</u>	<u>काजू ७० गुरा</u>

( CA )  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

दिनांक :- 26/5/16

क्रमांक :-  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (उत्तिपार) को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री काजू ७० गुरा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

CA  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी उनियारा